UPJS040002642022

Presented on : 06-01-2022
Registered on : 06-01-2022
Decided on : 12-09-2025
Duration : 3 years, 8 months, 6 days

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०–1/विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय एम०पी०/एम०एल०ए०, झाँसी।

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार–सक्षम(उ०प्र० न्यायिक सेवा)

जे०ओ० कोड नं०–UP–6452

दाण्डिक वाद संख्या–159/2022

उत्तर प्रदेश राज्य। ....**अभियोजन।**

विरूद्ध

1.प्रदीप जैन आदित्य पुत्र श्री विष्णु कुमार, निवासी– 52 ईसाईपुरा, थाना–कोतवाली, जिला–झाँसी।
2.रजनीश श्रीवास्तव पुत्र स्व० कालिका प्रसाद, निवासी–161 चन्द्रशेखर आजाद, थाना–कोतवाली, जिला–झाँसी।
3.नावेद खान पुत्र श्री नईम खा निवासी–391/1 नन्दनपुरा, थाना–सीपरी बाजार, जिला–झाँसी।
4.राहुल राय पुत्र सुरेन्द्र कुमार, निवासी–91/1 सिविल लाईन, थाना–नवाबाद, जिला–झाँसी।
5.शेरखान पुत्र जमील खाँ निवासी–पचकुआँ, थाना–कोतवाली, जिला–झाँसी।
6. सुहैल जैन पुत्र रविशंकर जैन, निवासी–सुभाषनगर, थाना–श्रावस्ती, जिला–झाँसी।
7.सौरभ जैन पुत्र अनिल कुमार, निवासी–गोसाईपुरा, थाना–कोतवाली, जिला–झाँसी।
8.नरेश चन्द्र विलाहरिया पुत्र स्व० धनीराम , निवासी–198 सिविल लाईन, थाना–नवाबाद, जिला–झाँसी।
9.राहुल गुप्ता पुत्र विष्णु गुप्ता, निवासी–138 कुदरीबाजार, थाना–कोतवाली, जिला–झाँसी।
10 सादाव अहमद पुत्र श्री कबीर अहमद, निवासी–469 वाटर सेरयर गैट, थाना–नवाबाद, जिला–झाँसी।
11.मनोज कुमार पुत्र श्याम बिहारी, निवासी–बड़ागाँव थाना– बड़ागाँव जिला–झाँसी।
12.वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, निवासी–विजौली, थाना– बबीना, जिला–झाँसी।
13.हरीश कपूर उर्फ टीटू पुत्र स्व० इन्द्रपाल कपूर, निवासी–लालापुरा, थाना–बबीना, जिला–झाँसी।
14.सलमान अहमद पुत्र फरीद अहमद, निवासी– जामा मस्जिद, थाना–बड़ागाँव, जिला–झाँसी।

.............**अभियुक्तगण।**

मु०अ०सं०–114/2013
धारा–143, 145, 147, 149, 341, 504, 506, 188, 16 भा०दं०सं० व 7 सी०एल०ए० एक्ट,
थाना–बड़ागाँव, **जिला**–झांसी।

निर्णय

1– अभियुक्तगण 1.प्रदीप जैन आदित्य पुत्र श्री विष्णु गुप्ता जैन, 2.रजनीश श्रीवास्तव पुत्र कालिका प्रसाद, 3.वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, 4. राहुल राय पुत्र सुरेन्द्र कुमार, 5.नावेद खान पुत्र नईम खान, 6.सादाब अहमद पुत्र कबीर अहमद, 7.राहुल गुप्ता पुत्र विष्णु गुप्ता, 8. नरेश चन्द्र विलाहरिया पुत्र धनीराम, 9.सलमान अहमद पुत्र फरीद अहमद, 10.सुहैल जैन पुत्र रवि कुमार जैन, 11.हरीश कपूर उर्फ टीटू पुत्र इन्द्रपाल कपूर, 12.सौरभ जैन पुत्र अनिल कुमार उर्फ अन्नू, 13.शेरखान पुत्र जमील खान, 14.मनोज कुमार पुत्र श्याम विहारी के विरूद्ध थाना–बड़ागाँव पुलिस द्वारा मु०अ०सं०–114/2013 अन्तर्गतधारा–143, 145, 147, 149, 341, 504, 506, 188, 16 भा०दं० सं० व 7 सी०एल०ए० एक्ट, के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक –11.06.2013 को केन्द्रीय ग्रामीण राज्य मन्त्री श्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में बुन्देलखण्ड में बिगड़ी हुई व्यवस्था बुन्देलखण्ड को विद्युत कटौती से मुक्त कराने एवं प्रदेश में विद्युत दरों में हुई वृद्धि के खिलाफ शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी, झाँसी व ललितपुर के संयुकत तत्वधान में दयानन्द फूलन स्टेडियम पारीछा में धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम समय 11:00 बजे दिन प्रारम्भ हुआ, जिसकी अनुमति अपर उप जिला मजिस्ट्रेट,झाँसी द्वारा विभिन्न शर्तो के अधीन प्रदान की गयी थी। वर्तमान में जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी हुई थी। उक्त अवसर पर मैं एस०ओ० हाकिम सिंह यादव मय हमराही जी212 सीपी हरिमोहन लिटौरिया, जी103 सीपी आनन्द स्वरूप, जी 60 लवकुश तिवारी, जी 839 सीपी करतार सिंह यादव, जी 1350 सीपी दीपक कुमार जी496 सीपी संजीव कुमार मय जीप सरकारी नं०–यू०पी० 93 ए०जी० 0172 मय आरक्षी चालक कल्यान सिंह कर्मचारीगण के साथ ड्यूटी पर मौजूद था। वहाँ कार्यक्रम चल रहा था कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य के इशारे पर कुछ लोग कार्यक्रम स्थल से निकले और समय करीब 15:45 बजे शाम ओवर ब्रिज पारीछा फोर लेन राष्ट्रीय राज मार्ग पर बैंक ऑफ इण्डिया के सामने नारे बाजी करते हुए आने जाने वाले दोनों मार्गो पर बैठकर रोड जाम कर दिया। मुझ थानाध्यक्ष व मौके पर मौजूद अन्य उचाधिकारीगण द्वारा उन्हें समझाया जा रहा था, तभी सभी प्रदीप जैन आदित्य मन्त्री जी व उनके साथ वीरेन्द्र सिंह राजपूत ब्लाक प्रमुख बबीना, तमाम साथियों क साथ जाम स्थल पर पहुँच गए और कहने लगे कि जब तक हमारी माँगे पूरी नहीं होंगी पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम रहेगा। हम एक भी वाहन नहीं चलने देंगे। उनके इस कृत्य से झाँसी तथा मोठ दोनों ओर वाहन की लम्बी–लम्बी कतारे ट्रकर, बस कार, जीप, मरीजो के वाहन रुक गए व लम्बी कतारे लग गीय। आवागमन पूरी तरह से वाँछित हो गया। आम जन्ता बच्चे गर्मी से परेशान होकर बेचैन हो गए। श्री प्रदीप जैन तथा उनके साथियो रजनीश श्रीवास्तव, वीरेन्द्र सिंह ब्लॉक प्रमुख बबीना, राहुल राय पुत्र सुरेन्द्र राय,, निवासी–इलाहाबाद बैंक चौराहा, झाँसी, नावेद खा छात्र बी०के०डी० नन्दनपुरा, झाँसी, सादाब भाई झाँसी, राहुल गुप्ता, निवासी–खउदरी झासी, नरेश चन्द्र बिलहाटिया नगर अध्यक्ष कांग्रेस, सलमान अहमद पुत्र फरीद अहमद निवासी–पारीछा, सुहैल जैन निवासी–मानिक चौक झाँसी, हरीश कपूर उर्फ टीटू अध्यक्ष बुन्देलखण्ड सेना ललितपुर, लगातार सौरभ जैन एन०एस०आई० नेता, शेर खान नई वस्ती झाँसी सुनील जैन निवासी–मानिक चौक झाँसी, मनोज कुमार झड़खड़िया, निवासी–बड़ागाँव, झाँसी व उनके साथ मौजूद करीब 250–300 अज्ञात व्यक्तियों को पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समझाया बुझाया गया, परन्तु वे नहीं माने और उत्तेजित होकर पुलिस व प्रशासन के विरुद्ध नारेवाजी करते रहे, रुके हुए वाहनों के चालको को बीच बीच में गाली–गलौज करना व मारने पीटने व वाहनों की तोड़ फोड़ की धमकी देते रहे। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को करीब 4 घण्टे बाधित रखा गया। इस बीच दोनों और लम्बी–लम्बी कतारे लग चुकी थी। ट्रकों के अतिरिक्त वसो व चार पहिया वाहनों के यात्री महिलाए, बच्चे इस भीषण गर्मी मं बेचैन होते रहे मरीज अस्पताल जाने के लिए लौटते रहे। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार समझाने के प्रयोस को नहीं माना

गया। अन्त में घण्टों समझाने बुझाने के बाद किसी प्रकार अन्त में जाम खुलवाया गया। अभियुक्तगण द्वारा किए गए कृत से लीक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गयी। जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अभियुक्तगण उपरोक्त द किया गया यह कृत धारा–143, 147, 149, 341, 504, 506, 188, 186, 145 भा०दं०स० व 7 सी०एल०ए० एक्ट, के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अज्ञात व्यक्तियों को उसने तथा मौके पर मौजूद अन्य पुलिस बल सामाने आने पर पहचान सकते हैं। अभियोग पंजीकृत किया जाए। ।

3– वादी मुकदमा श्री हाकिम सिंह यादव तत्कालीन एस०ओ० द्वारा थाना बड़ागाँव जिला झांसी में दी गयी तहरीर व फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण **1.प्रदीप जैन आदित्य पुत्र श्री विष्णु गुप्ता जैन, 2.रजनीश श्रीवास्तव पुत्र कालिका प्रसाद, 3.वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, 4. राहुल राय पुत्र सुरेन्द्र कुमार, 5.नावेद खान पुत्र नईम खान, 6.सादाब अहमद पुत्र कबीर अहमद, 7.राहुल गुप्ता पुत्र विष्णु गुप्ता, 8. नरेश चन्द्र विलाहरिया पुत्र धनीराम, 9.सलमान अहमद पुत्र फरीद अहमद, 10.सुहैल जैन पुत्र रवि कुमार जैन, 11.हरीश कपूर उर्फ टीटू पुत्र इन्द्रपाल कपूर, 12.सौरभ जैन पुत्र अनिल कुमार उर्फ अन्नू, 13.शेरखान पुत्र जमील खान, 14.मनोज कुमार पुत्र श्याम विहारी** के विरूद्ध मु०अं०सं० –114/2013 अंतर्गत धारा–143, 145, 147, 149, 341, 504, 506, 188, 16 भा०दं०सं० व 7 सी०एल०ए० एक्ट, के तहत विवेचना उपरान्त आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4– अभियुक्तगण **1.प्रदीप जैन आदित्य पुत्र श्री विष्णु गुप्ता जैन, 2.रजनीश श्रीवास्तव पुत्र कालिका प्रसाद, 3.वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, 4. राहुल राय पुत्र सुरेन्द्र कुमार, 5.नावेद खान पुत्र नईम खान, 6.सादाब अहमद पुत्र कबीर अहमद, 7.राहुल गुप्ता पुत्र विष्णु गुप्ता, 8. नरेश चन्द्र विलाहरिया पुत्र धनीराम, 9.सलमान अहमद पुत्र फरीद अहमद, 10.सुहैल जैन पुत्र रवि कुमार जैन, 11.हरीश कपूर उर्फ टीटू पुत्र इन्द्रपाल कपूर, 12.सौरभ जैन पुत्र अनिल कुमार उर्फ अन्नू, 13.शेरखान पुत्र जमील खान, 14.मनोज कुमार पुत्र श्याम विहारी** के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लेकर आरोप अन्तर्गत धारा–143, 145, 147, 149, 341, 504, 506, 188, 16 भा०दं०सं० व 7 सी०एल०ए० एक्ट, में विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिस पर अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार कर परीक्षण की माँग की।

5– अभियोजन पक्ष को साक्ष्य का अवसर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०–1 अर्जुन सिंह, थाना–हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर, पी०डब्लू०–2 हरीमोन लिटौरिया पुत्र श्री रामगोपाल लिटौरिया हाल तैनाती थाना महोबकठ, जनपद महोबा, पी०डब्लू०–3 एच०सी० 455 करतार सिंह हाल तैनाती 112 रिजर्व ललितपुर, पी०डब्लू०–4 हाकिम सिंह सेवानिवृत्त निरीक्षक, पी०डब्लू०–5 उदयवीर सिंह सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक , पी०डब्लू–6 अचल सिंह पुत्र स्व० श्री रसाल सिंह, पी०डब्लू–7 उपनिरीक्षक लवकुश तिवारी पुत्र श्री शिव मूलत तिवारी को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन द्वारा किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन पक्ष की साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

6– अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत होना , झूँठा मुकदमा पंजीकृत होना, राजनैतिक द्वेष भावना से सत्ता पक्ष के दबाव में झूँठी गवाही देने, गलत विवेचना कर झूँठा आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल करने, विवेचक द्वारा फर्जी नक्शा नजरी तैयार किया है।

7– अभियुक्त सौरभ जैन पुत्र अनिल कुमार उर्फ अन्नू की पत्रावली दिनांक–12.12.2024 को मूल पत्रावली से पृथक कर प्रथम दृष्टया किशोर अपचारी मानते हुए किशोर न्याय बोर्ड, झाँसी को विचारण हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

8– विद्वान लोक अभियोजन एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों का सादर का अवलोकन किया गया।

9– प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक–11.06.2013 को समय करीब 15.45 बजे से चार घण्टे पूर्व स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० –2 हाईवे ओवर ब्रिज पर बैक ऑफ इण्डिया के सामने ग्राम पारीछा थाना बड़ागांव, जिला झांसी में आपने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव कर बल्वा कारित किया तथा विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य होते हुए व यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने या समादेश होने से वहाँ पर मौजूद लोगों को नुकसान होगा, विद्युत मांगो को लेकर अवैधानिक रूप से जमा लगाया, जिससे वहाँ पर लम्बी–लम्बी कतारे दोंनो तरफ लग जाने से ट्रकों के अतिरिक्त अन्य यात्री वाहनों को व महिलाओं व बच्चे भीषण गर्मी के कारण बैचेन हो गये व उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा तथा लोक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गयी तथा मना करने पर बुरी–बुरी गलियां देते हुए जाने से मारने की धमकी दी तथा विधिपूर्वक प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा की गयी जिससे वहाँ पर एकत्रित लोगों को काफी क्षति हुई तथा ऐसी अवज्ञा से मानव जीवन व स्वास्थ्य या क्षेम आदि को संकट हुआ, इस कृत्य से लोक कृत्यों के निबंधन में बाधा पहुंची, जिससे उपरोक्त क्षेत्र में व समाज में अशान्ति फैल गयी व भय व्याप्त हो गया?

10– अभियोजन की ओर से परीक्षित समस्त साक्षीगण के साक्ष्य के समेकित अवलोकन से अभियोजन द्वारा **अभियोजन साक्षी क्रमांक–1** अर्जुन सिंह थाना हुसैन गंज जनपद फतेहपुर के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि जुबानी सूचना मिलने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष हाकिम सिंह यादव थाना बड़ागांव जनपद झांसी चौकी पारीछा उपस्थित आकर दिनांक 11.06.2013 के जुवानी सूचना बोलकर मु०अ०सं०–114/13 अन्तर्गत धारा–143, 147, 149, 341, 504, 506, 188, 186, 145 भा०दं०सं० व धारा–7 सी०एल०ए० एक्ट में चौकी पारीछा थाना बड़ागांव में बनाम प्रदीप जैन आदित्य केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार व 14 अन्य के विरूद्ध व अन्य नाम ढाई तीन सौ तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था जो एफ०आई०आर० की मूल प्रति उसके द्वारा लिखी गयी थी। जो पत्रावली में कागज सं०–4ए/1 व 4ए/2 के रूप में संलग्न है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे प्रदर्श क1 के रूप में प्रममाणित किया है, जिसका उल्लेख मुकदमा से संबंधित रोजनामचाआम रपट नं०–12 समय 22.00 पी०एम० दिनांक 11.06.2013 दर्ज किया गया है जो कागज संख्या–6ए पत्रावली में संलग्न है, जिसे प्रदर्श क–2 के रूप में प्रमाणित किया है। विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया था। एफ०आई०आर० के संबंध में उसके द्वारा जो अंकित किया था अपने बयान में बताया था।

11– उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि " दिनांक–11.06.2013 की घटना है। घटना पारीछा हाइवे रोड की है। घटनास्थल थाना–बड़ागाँव के अन्तर्गत आता है। घटना के समय मैं पुलिस चौकी पारीछा झाँसी में तैनात था। मैं घटना के समय का० मोहर्रिर (मुंशी) के पद पर चौकी पारीछा में तैनात था। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस चौकी पारीछा में बैठकर लिखी गयी थी। घटना की जुबानी सूचना पर तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री हाकीम सिंह द्वारा एफ०आई०आर० लिखायी गयी थी। मुझे याद नहीं है कि तत्कालीन थानाध्यक्ष हाकिम सिंह क्या जुबानी सूचना दी थी। मुझे घटना की जूबानी सूचना तत्कालीन थानाध्यक्ष हाकिम सिंह ने समय 22:00 पी०एम० बजे दिनांक 11.06.2013 को दी थी। तत्कालीन थानाध्यक्ष ने घटना का समय मुझे बताया था। मुझे फाइल देखनी पड़ेगी अभी याद नहीं है। मुझे तत्कालीन थानाध्यक्ष ने यह सूचना दी थी कि तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार व 14 अन्य लोग व ढाई सौ से तीन सौ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा विद्युत कटौती का विरोध करते हुए हाईवे पर रोड जाम किया गया था। मैं यह नहीं बता सकता कि थानाध्यक्ष द्वारा अन्य 14 कौन–कौनसे व्यक्तियों के नाम बताए थे। मुझे प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने में लगभग एक से डेढ़ घण्टे का समय लगा होगा। मुझे विवेचना देने की पावर नहीं है इस कारण थानाध्यक्ष द्वारा विवेचना विवेचक को दी गयी थी। मुझे थानाध्यक्ष ने मुकदमा पंजीकृत करने से पूर्व अथवा बाद में उक्त प्रकरण से संबंधित लिखित प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। मुकदमा उपरोक्त की कायमी रोजनामचा आज रपट नं०–12 समय 22:00 बजे कायमी की गयी थी। पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गयी थी, जिसमें मुझे करीब एक या डेढ़ घण्टे का

समय लगा था। फिर मैंने कायमी की थी। मैंने कायमी व चिक अलग–अलग समय पर काटी थी। मैंने 22:00 बजे कायमी वाला समय सही बताया है। लैकिन मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले लिखी थी, जिसकी सूचना मुझे 22:00 बजे मिली थी। विवेचक ने मेरे बयान रिपोर्टिंग चौकी पारीछा चौकी में बैठकर लिए थे। विवेचक ने मेरे बयानों पर कोई हस्ताक्षर नहीं कराए थे।

12– अभियोजन की ओर से परीक्षित समस्त साक्षीगण के साक्ष्य के समेकित अवलोकन से अभियोजन द्वारा **अभियोजन साक्षी क्रमांक–2** पी०एन०ओ० नं०–912390594 हरीमोहन लिटौरिया के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 11.06.2013 की घटना है। केन्द्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने बुन्देलखण्ड में बिगड़ी हुई विद्युत व्यवस्था के विरोध में शहर व जिला कांग्रेस कमेटी ने घरा एवं प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। उस समय जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के तहत निषेधाज्ञा जारी थी। वह थानाध्यक्ष बड़ागांव श्री हाकिम सिंह यादव के हमराह के रूप में उसके साथ तैनात था। वह थानाध्यक्ष के रूप में घटनास्थल पर पहुंचा जहाँ प्रदीप जैन आदित्य केन्द्रीय मंत्री के उकसावे पर लगभग 15.45 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पारीछा फोरलेन पर नारेबाजी करते हुए बैठ गये थे। राजमार्ग पर आने जाने वाली गाड़ियों का मार्ग अपरूद्ध कर दिया। जिसकी वजह से राजमार्ग पर वाहनों की लम्बी –लम्बी कतारें लग गयी तथा एम्बूलैन्स जैसी आवश्यक सेवायें प्रभावित हो रही थी। अधिकारियों के समाझाने बुझाने के बाद भी सभी लोग विधि विरूद्ध जमाव के रूप में राजमार्ग पर हंगामा करते रहे तथा बच्चे व मरीज जाम में फंस कर परेशान होते रहे। सभी अभियुक्तगण ने ऐसा करने से मना करने पर गाली–गलौज की तथा जान से मारने की धमकी भी दी। इस तरह से सभी अभियुक्तगण के उक्त कृत्य से क्षेत्र में अशान्ति व भय व्याप्त हो गया। कुल लगभग 15–20 अभियुक्त थे। थाने पहुंच कर थानाध्यक्ष महोदय ने घटना की सूचना देते हुए चौकी पारीछा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी, विवेचक ने उसके बयाने लिये थे।

13– उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "घटना दिनांक – 11.06.2013 की है। मैं उस समय बड़ागाव में तैनात था। घटना वाले दिन मैं एस०ओ० हाकिम सिंह का हमराहा था। मेरी ड्यूटी उन्हीं के साथ हमराहा के रूप में थी। कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन कालोनी के अन्दर ग्राउण्ड में था। सड़क पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं था। यह बात सही है कि सड़क पर किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन सड़क या हाईवे पर नहीं हुआ था, बल्कि कालोनी के अन्दर स्टेडियम में हुआ था। कालोनी के अन्दर जो धरना प्रदर्शन हुआ था, तो उसमें वहाँ पर कोई जाम नहीं लगा था, जिंस स्थान पर धरना प्रदशन होना बता रहा हूँ उक्त स्थल पर किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ उपहति कारित या किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी भी धरना प्रदर्शन वाले व्यक्ति ने नहीं किया था। धरना प्रदर्शन स्थल पर किसी प्रकार की तोड़ –फोड़ वाहन, ट्रक आदि की कोई क्षति भी नहीं हुई थी। यह बात सही है कि मैं घटना के समय अपने एस०ओ० का मातहर कर्मचारी था। मुझे याद नहीं है कि घटना स्थल पर पूरे दिन कोई उच्चाधिकारी(प्रशासनिक),जिनमें जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट आदि आए थे या नहीं आए थे। मेरी ड्यूटी एस०ओ० साहब के साथ सुबह 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक रही थी। मैं पूरे समय एस०ओ० के साथ रहा। मैं यह नहीं बता सकता कि विवेचक ने किसी जनता के व्यक्ति को गवाह बनाया था या उसके बयान लिए थे या नहीं। मैं यह भी नहीं बता सकता कि विवेचक ने घटना के संबंध में कोई बरामदगी की थी अथवा नहीं। क्योंकि मेरे किसी भी फर्द बरामदगी पर हस्ताक्षर नहीं कराए थे। एस०ओ० ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट चौकी पर मौखिक लिखने को कहा था। यह कहना गलत है कि मैं घटना के समय एस०ओ० हाकिम सिंह का मातहर कर्मचारी रहा हूँ, इसी कारण मैं आज न्यायालय में झूँठी गवाही दे रहा हूँ। मैं किसी मूल्जिम को नाम से नहीं जानता हूँ।

14– अभियोजन की ओर से परीक्षित समस्त साक्षीगण के साक्ष्य के समेकित अवलोकन से अभियोजन द्वारा **अभियोजन साक्षी क्रमांक–3** एच०सी० 455 करतार सिंह के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 11.06.2013 की है। पारीछा के स्टेडियम में अनुमित लेकर बिजली विभाग के संबंध में पारीछा स्टेडियम में घटना प्रदर्शन की परमिशन लेकर धरना प्रदर्शन

कर रहे थे। उक्त घरना प्रदर्शन की अनुमति उपजिलाधिकारी, झांसी से ली गयी थी। केवल धरना प्रदर्शन धरना प्रदर्शन की अनुमति स्टेडियम में ही दी गयी थी। कहीं दूसरी जगह धरना प्रदर्शन व जाम इत्यादि की अनुमति नही थी। जिले में 144 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत आदेश भी जारी हुआ था। उक्त धरना प्रदर्शन में प्रदीप जैन आदित्य, वीरेन्द्र सिंह राजपूत, राहुल राय, नावेद खान, सादाब भाई, राहुल गुप्ता, नरेश चन्द्र रिछारिया, सलमान अहमद, सुहेल जैन, हरीशंकर उर्फ टीटू, सौरभ जैन, शेख खान, मनोज कुमार आदि करीब ढाई–तीन सौ लोग थे। उक्त धरना प्रदर्शन की अनुमति ग्यारह बजे दिन की दी गयी थी। उक्त धरना प्रदर्शन में सुरक्षा संबंध के लिए थानाध्यक्ष बड़ागांव श्री हाकिम सिंह यादव, का० हरीमोहन लिटौरिया, का० आनन्द स्वरूप मिश्रा, का० लवकुश तिवारी, का० दीपक कुमार, का० संजीव कुमार व अन्य फोर्स चौकी पारीछा का था। करीब दिन के साढ़े तीन या चार बजे के करीब ढाई–तीन सौ की भीड़ बढ़ने पर उक्त लोग दिन के 15.45 बजे धरना स्थल से उठकर बैक ऑफ इण्डिया के सामने ओबर ब्रिज हाई–वे पर जाम लगा दिया, जिसमें उसके द्वारा पूर्व में बताये गये सभी व्यक्ति व अन्य अज्ञात 250–300 लोग थे। प्रदीप जैन द्वारा जाम लगाने से दोनों तरफ लम्बी कतारे लग गयी। आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। यात्रीगण महिलायें, बच्चे आदि गर्मी से बेहाल हो गये। हम पुलिस बल द्वारा प्रदीप जैन आदि जो ऊपर अंकित है तथा भीड़ को समझाया, बुझाया गया तो यह लोग नही माने। उत्तेजित होकर प्रशासन के विरूद्ध गाली–गलौच व जान से मारने की धमकी देने लगे। वाहन के चालकों के साथ भी अभद्रता का व्यवहार करते हुए वाहन पीछे ले जाने के लिए मजबूर करने लगे। मरीज भी अस्पताल नही जा पा रहे थे। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गये व उनके द्वारा घण्टों समझाने के पश्चात जाम खोला गया। प्रदीप जैन आदित्य के उक्त कृत्य के कारण लोक व्यवस्था भंग हो गयी तथा जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उक्त जाम हटने के बाद थानाध्यक्ष हाकि सिंह द्वारा पारीछा चौकी में रात में जुवानी बोल –बोलकर मुकदमा पंजीकृत कराया था। विवेचक ने उसके बयान अंकित किये थे।

15– उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 13.06.2013 की है। बिजली विभाग की कटौती के विरोध में धरना प्रदर्शन था। मेरी ड्यूटी बतौर एस०ओ० के हमराही के रूप में लगी हुई थी। थाने से हम लोग करीब ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे रवाना हुए थे। हम लोग पारीछा चौकी से जहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसके लिए रवाना हुए थे। जिस दिन हम लोग उक्त घटना स्थल पर रवाना होना बता रहा हूँ, उस दिन रवानगी जी०डी० पर कोई हस्ताक्षर नहीं बनाए थे। लेकिन यह बात सही है कि थाने से रवाना होने से पूर्व रवानगी जी०डी० पर हस्ताक्षर बनाए जाते हैं। थाने से मेरे अलावा एस०ओ० के साथ का० हरिमोहन लिटौरिया, का० लवकुश तिवारी, का० आनन्द स्वरूप, का० दीपक कुमार, का० संजीव कुमार, ये सभी लोग एक साथ मय ड्राईवर के थाने के जीप संख्या–0172, फिर कहा यू०पी० 93 ए०जी० 172 से रवाना हुए थे, थाने से रवानगी के समय डण्डा हैल्मेट, बॉडी प्रोटेक्टर दंगा नियंत्रण उपकरण लेकर गए थे। उपरोक्त दंगा नियंत्रण उपकरण में जी०डी० में इंद्राज मेरे सामने नहीं हुआ था। अलग कागज में उसका विवरण लिख लिया था। थाने से रवाना होकर हम लोग सीधे घटना स्थल पर गए, जहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था। धरना प्रदर्शन पारीछा में अन्दर कालोनी में एक स्टेडियम में चल रहा था, जिसका पूरा नाम याद नहीं है। दयानन्द नाम से स्टेडियम है, उसी स्टेडियम में धरना प्रदर्शन चल रहा था। यह बात सही है कि मेरे सामने थाने की जी०डी० वय इन्द्राज रजिस्टर नहीं है। मैं इसका कारण नहीं बता सकता की जी०डी० पर मैंने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए थे। घटना स्थल पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, सब लोग उत्तेजित हो गए थे, सड़क पर आ गए। एफ०आई०आर० चौकी पर लिखी गयी थी। एफ०आई०आर मेरे सामने घटना की नहीं लिखी गयी थी। एफ०आई०आर० लिखते समय हम लोग चौकी के बाहर खड़े थे। एफ०आई०आर० थानाध्यक्ष श्री हाकिम सिंह लिखवा रहे थे। मुझे नहीं पता की हाकिम सिंह ने कोई प्रार्थना पत्र मुंशी जी को दिया था या नहीं। मुझे जानकारी नहीं है कि एस०ओ० हाकिम सिंह द्वारा कोई प्रार्थना पत्र एफ०आई०आर० लिखे जाने के बावत पत्रावली पर उपलब्ध है या नहीं। गवाह ने पत्रावली देखकर कहा कि इस पत्रावली में कोई तहरीरी प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं है। इस पर गवाह ने कहा कि इस

संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। एफ०आई०आर लिखने के समय मैं चौकी के बाहर खड़ा था। लेकिन एफ०आई०आर में नामजद अभियुक्तगणों के नाम हम सभी पुलिस कर्मचारियों के सलाह मशवरा से लिखा गया है। घटनास्थल पर कुछ अधिकारीगण श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी एवं अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे। अन्य उच्चाधिकारी के नाम नहीं बता सकता, मुझे जानकारी नहीं है कि कुछ अधिकारीगणों को दौरान विवेचना गवाह बनाया गया था या नहीं और उनके बयान विवेचक ने लिए थे अथवा नहीं। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट समय रात्रि 22:00 बजे लिखी गयी थी। घटना स्थल से पारीछा रिपोर्टिंग चौकी जहाँ घटना की रिपोर्ट लिखी गयी थी कि दूरी 200–250 मी० की दूरी पर है। दरोगा जी नें मेंरे बयान लिए थे। यह कहना गलत है कि उस दिन पारीछा स्टेडियम के अन्दर ऐसी कोई घटना घटित न हुई हो और राजनैतिक द्वेष भावना के कारण विशेष सरकार के हस्ताक्षेप से एस०ओ० हाकिम सिंह द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध झूँठा व फर्जी मुकदमा पंजीकृत करवाया गया हो।

16– अभियोजन की ओर से परीक्षित समस्त साक्षीगण के साक्ष्य के समेकित अवलोकन से अभियोजन द्वारा **अभियोजन साक्षी क्रमांक–4** एस०ओ० हाकिम सिंह के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 11.06.2013 में थानाध्यक्ष बड़ागांव के पद पर नियुक्त था। उस दिन केन्द्रीय ग्रामीण राज्यमंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में जनपद झांसी व ललितपुर के संयुक्त तत्वाधान में कानून व्यस्था बड़ी हुई बिजली दरो व बिजली कटौती मुक्त कराने के लेकर पारीछा देय निधि पार्क में घरना प्रदर्शन का आयोजन था। जिसकी अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा विभिन्न शर्तो के अधीन दी गयी थी। उक्त अभियान सुबह 11.00 बजे से प्रारम्भ था जबकि जनपद में धारा–144 दं०प्र०सं० लागू पूर्व से थी। उक्त अवसर पर में एस०ओ० हाकिम सिंह मय का० हरीमोहन तिवारी बाद में पत्रावली देखकर कहा हरीमोहन लिये था। का० अनन्द स्वरूप, का० लवकुश तिवारी, का० करतार सिंह, का० दीपक कुमार, का० संजीव कुमार जीप सरकारी आरक्षी चालक कल्याण सिंह के मौके पर मौजूद था कि श्री प्रदीप जैन आदित्य के इशारे पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता नेशनल हाईवे पर समय–13.45 बजे आकर धरने पर बैठ गये। जिससे हाईवे के आवागमने में अवरोध उत्पन्न हो गया कि समय करीब 15.45 बजे केन्द्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य, रजनीश, वीरेन्द्र सिंह, राहुल राय, नावेद खाँ, सादाब, राहुल गुप्ता, नरेश चन्द्र, सलमान, हरीश कपूर उर्फ टीटू, सौरभ जैन, शेर खान, मनोज कुमार आदि कार्यकर्ताओं करीब 250–300 अज्ञात के पहुंचे/आये। हाईवे पर पारीछा बैंक के सामने जाम लगा दिया और प्रशासन के विरूद्ध नारेबाजी प्रारम्भ करा दी, जिन्हें उसके द्वारा मौके पर मौजूद उच्चाधिकारियों के द्वारा काफी समझाया बुझाया गया लेकिन अपनी मांगे पूर्ण होने तक अड़े रहे। जिससे आने जाने वाले वाहन ट्रक, बसों, चार पहिया वाहन मरीजों की गाड़ी सभी बाधित हो गयी और भीषण गर्मी के कारण बसों के अन्दर बैठे महिला, बच्चों के हाल बेहाल होने लगे। इनके इस कृत्य से पूरी तरह से लोक व्यवस्था ध्वस्त हो गयी, जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इन अभियुक्तगण का यह कृत्य विधि विरूद्ध था। दौरान घटना प्रदर्शन इन प्रदर्शन कारियों द्वारा ट्रक, बसों के तोड़ने व चालकों को गाली–गलौच व जान से मारने की धमकियाँ भी दी गयी। तदोपरान्त मौके पर मौजूद उच्चाधिकारियों द्वारा समझाया बुझाया गया व उसके द्वारा स्वयं माननीय केन्द्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य से निवेदन किया गया। तत्पश्चात चार घण्टे बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। उक्त घटना के संबंध में उसके द्वारा चौकी पारीछा पर समय करीब 22.00 बजे जुबानी एफ०आई०आर० अंकित करायी गयी थी, जिसका थाना बड़ागांव पर अ०सं०–114/2013 पंजीकृत हुआ था। पत्रावली में संलग्न कागज सं०–4ए/1 लगायत 4ए/2 एफ०आई०आर० को पढ़कर, देखकर व प्रथम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर पहचान कर उक्त साक्षी ने कहा कि यह वही एफ०आई०आर० है, जिसे उसने पारीछा चौकी पर बोल–बोल कर जुबानी का० अर्जुन सिंह से लिखायी थी। प्रथम पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर भी है, जिसीक उसने पुष्टि की है। यह एफ०आई०आर० उशके बोलने पर लिखी गयी थी, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क –1 डाला जा चुका है। अभियुक्तगण के नाम पर अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गयी। उस पर अभियोजन द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण के नाम पत्रावली में मैमोरी या याददाश्त ताजा कराने हेतु देखी गयी।

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घटना वर्ष 2013 की है 11 तारीख जून माह की घटना है। प्रश्न–घटना वाले दिन में धरना प्रदर्शन हुआ था क्या उसकी कोई अनुमति ली गयी थी? उत्तर–पारीछा दयानन्द पार्क में धरना प्रदर्शन और सभा की अनुमति ली गयी थी। प्रश्न–यदि आपने मुख्य परीक्षा में अनुमति का स्थान दया निधि पार्क लिखाया है, तो वह क्या गलत है ? उत्तर–नही। दयानन्द व दयानिधि एक ही पार्क है। कुछ लोग उसे दयानन्द व कुछ लोग उसे दयानिधि पार्क कहते हैं। यह कहना गलत है कि दयानन्द व दयानिधि पार्क अलग अलग है। मुझे यह आज ध्यान नहीं है कि धरना एवं सभा की अनुमति किस व्यक्ति के द्वारा ली गयी है। यह अनुमति अपर उपजिला मजिस्ट्रेट, झाँसी के द्वारा दी गयी थी। यह कहना गलत है कि उस समय कोई अपर उप–जिला मजिस्ट्रेट का पद न रहा हो। मैंने जो अनुमति संबंधित अधिकारी द्वारा धरना प्रदर्शन की दी गयी थी। उस पत्र को पढ़ लिया था। दयानिधि पार्क में अभियुक्तगण द्वारा अधिकृत प्रशासनिक अधिकारी की अनुमति से धरना प्रदर्शन किया था। जिस स्थान की अनुमति थी उस स्थान पर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था का उल्लंघन अभियुक्तगण के द्वारा नहीं किया गया था। मैं यह नहीं बता सकता कि अनुमति वाले स्थल पर कितने व्यक्तियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। मैं अन्दाजे से भी नहीं बता सकता हूँ। अनुमति पत्र की एक प्रति मुझे अधिकृत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना प्राप्त होने के बाद मैंने अपनी व अपनी फोर्स की ड्यूटी उक्त धरना प्रदर्शन पर लगायी थी। ड्यूटी लगाने का समय मुझे याद नहीं है। जिन व्यक्तियों की ड्यूटी मैंने लगायी थी, उन व्यक्तियों के नाम मैंने रवानगी जी०डी० पर अंकित कराया था, किन्तु आज मुझे सभी के नाम याद नहीं है। मुझे यह याद नहीं है कि मैं थाने से धरना प्रदर्शन स्थल पर कितने बजे रवाना हुआ था। धरना प्रदर्शन स्थल पर दंगा नियंत्रण से संबंधित थाने पर उपलब्ध उपकरणों के साथ रवाना हुआ था। मुझे इस समय याद नहीं है कि मैं उस समय कौन–कौनसे दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ थाना से रवाना हुआ था। जो भी उपकरण लेकर हम लोग थाने से रवाना हुए थे, उन उपकरणों का थाने की रवानगी जी०डी० में अंकित कराया था। यदि रवानगी जी०डी० में उक्त उपकरणों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो उसका कारण नहीं बता सकता। हम लोग धरना प्रदर्शन स्थल पर समय करीब दस बजे पहुँच गए थे। थाने से दयानन्द पार्क धरना प्रदर्शन स्थल लगभग चार–पाँच किमी० की दूरी पर स्थित है। मुझे इस समय याद नहीं है कि धरना स्थल पर थाने से सीधे गया था या पहले कही ओर गया था। मेरे अलावा मेरे साथ पाँच सिपाही, चालक आदि लोग थे। इसके अलावा भी दयानन्द पार्क में ओर फोर्स आ गयी थी। मेरे द्वारा उचाधिकारियों से अनुरोध करने पर फोर्स उपलब्ध कराया था। पार्क की क्षमता से अत्यधिक भीड़ थी। इस कारण शान्ति व्यवस्था हेतु अतिरिक्त फोर्स बुलाया था। धारा –144 सी०आर०पी०सी० के अनुसार लागू होने पर पाँच से अधिक व्यक्ति इक्ट्ठा एक साथ सार्वजनिक स्थल पर नहीं हो सकते हैं। मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन सत्य कहा है कि धारा –144 सी०आर०पी०सी० पूर्व से लागू थी। धरना प्रदर्शन कानून की बिगड़ी व्यवस्था को सूचारू करना, बढ़ी हुई बिजली दरो को कम करने एवं जिले की बिजली कटौती के आहावन के संबंध में किया गया था। उक्त समस्त कार्य जन कल्याण के कार्य हैं। दयानन्द पार्क में जो धरना चल रहा था, वह शान्तिप्रिय था, वहाँ किसी कार्यकर्ता के पास कोई हथियार नहीं देखा। नामजद अभियुक्तगण में से कुछ को पूर्व से जानता था। एवं कुछ के नाम मैंने अपने विश्वसत सुत्रों से पता किया था। अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह को पूर्व से जानता था। वीरेन्द्र सिंह का पूरा नाम वीरेन्द्र सिंह ही है, अन्य नाम की मुझे जानकारी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखित वीरेन्द्र सिंह राजपूत नाम सही है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि वीरेन्द्र सिंह का सही नाम क्या है। दयानन्द पार्क में धरना प्रदर्शन करीब साढ़े तीन बजे तक चला था। साढ़े तीन बजे तक सभी अभियुक्तगण दयानन्द पार्क में नहीं थे, उससे पहले हाईवे पर आ गए थे, कुछ व्यक्ति साढ़े तीन बजे के पूर्व मंत्रि जी के साथ धरना स्थल पर थे और कुछ लोग हाईवे पर आ गए थे। मंत्री जी साढ़े तीन बजे तक धरना स्थल पर थे। पूर्व केन्द्रीय राज मंत्री प्रदीप जैन आदित्य साढ़े तीन बजे तक धरना स्थल दयानन्द पार्क पर थे। प्रदीप जैन आदित्य के अलावा कौन–कौनसे नामजद व्यक्ति दयानन्द पार्क में साढ़े तीन बजे तक थे, मैं यह नहीं बता सकता। मैं यह भी नहीं बता सकता कि उक्त नामजद व्यक्तियों में से, जिन्हें मैंने

साढ़े तीन बजे के पूर्व आना बताया है, वह कौन-कौनसे व्यक्ति थे। मेरी ड्यूटी सूपर विजन में दयानन्द पार्क से लेकर पूरे पारीछा क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था हेतु थी। क्योंकि मैं वहाँ का थानाध्यक्ष था। साढ़े तीन बजे के पहले कुछ लोग पहुँच गए थे और कुछ लोग माननीय मंत्री जी के साथ समय 15:45 बजे हाईवे पर पहुँच गए थे। मैं जिन व्यक्तियों को 03:30 बजे के पहले हाईवे पर पहुंचना बता रहा हूँ, कितने बजे हाइवे पर पहुँचे उसका समय सही नहीं बता सकता। मुझे यह जानकारी है कि नेशनल हाईवे घटना के समय चार दिन का था। यह लोग पास ही ट्रैक पर पहुँच गए थे। पार्क से कुछ लोग साढ़े तीन बजे के पहले पहुँचना बता रहा हूँ, तब मैं भी वहाँ पीछे-पीछे उक्त व्यक्तियों के साथ वहाँ पहुँच गया था, जिस समय मैं हाईवे पर था, उस समय प्रदीप जैन आदित्य व अन्य कुछ नामजद अभियुक्तगण दयानन्द पार्क में ही थे। मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने एफ०आई०आर० में ट्रैक नं० 2 पर बैठना अंकित कराया है। चार लैन में ट्रैक नं० 1 व ट्रैक नं०-2 उस समय नहीं थे। मैंने यह अपनी एफ०आई०आर० में अंकित कराया है वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 फोरलैन अंकित कराया है। ट्रैक नं०-2 अंकित नहीं कराया है। जन कल्याण कार्य विधि अनुसार किया गया हो, तो विधि अनुरूप होता है। धारा-144 सी०आर०पी०सी० कुछ अधिकारियों द्वारा लगायी गयी थी और उन्ही के द्वारा धरना प्रदर्शन की अनुमति प्रदान करने पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं था। धारा-144 सी०आर०पी०सी० किस अधिकारी के द्वारा लगायी गयी थी, मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ। मुझे इस बारे में जानकारी नही है कि धारा -144 सी०आर०पी०सी० कौन अधिकारी लगाते हैं। मैं थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी यह जानकारी नहीं कि की धारा -144 सी०आर०पी०सी० कौनसे अधिकारी लगाते हैं। जिले में धारा-144 सी०आर०पी०सी० का आदेश प्रभावी हुआ था, उक्त आदेश मेरे थाने में भी प्राप्त हुआ था, किन्तु मैं यह नहीं बता सकता कि वह आदेश किस अधिकारी के द्वारा आदेशित किया गया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त आदेश पत्रावली पर है अथवा नहीं है। मुझे जाति का ज्ञान है वीरेन्द्र सिंह किस जाति के थे, मैं नहीं जानता। स्वतः कहा कि राजपूत लिखते थे। बबीना ब्लॉक प्रमुख थे, मैं यह नहीं कह सकता की वीरेन्द्र सिंह जुदेब पुत्र तेज सिंह जुदेब है, न की वीरेन्द्र सिंह राजपूत है। समय करीब साढ़े तीन बजे के पूर्व जब कुछ व्यक्ति हाईवे पर आए, तब मैं उनके पीछे-पीछे आ गया था। दयानन्द पार्क खचाखच भरा हुआ था, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ कि कितने लोग रह गए थे। चूँकि प्रदीप जैन आदित्य के नैतृत्व में आयोजन हो रहा था। इस कारण मैंने यह बात लिखायी है कि इनके इशारे पर हाईवे पर लोगों ने जाम लगा दिया। संभवतः श्री नरेश चन्द्र विसधारिया द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी। यह कहना गलत है कि प्रदीप जैन आदित्य के नैतृत्व में धरना प्रदर्शन न हो रहा हो। एक सर्विस लैन ब्रिज के नीचे से बगल से जाती है। वह सर्विस लैन आगे हाईवे पर भी मिलती है, उस सर्विस लैन पर भी लोग आते-जाते रहते हैं, ब्रिज के दूसरे तरफ भी एक सर्विस लैन गयी है, जो नेशनल हाईवे को दोनों ओर जोड़ती है और उस पर भी लोग आते-जाते रहते हैं। मैंने पारीछा कालोनी के गेट पर लोगों को नहीं रोका था, स्वतः कहा चूँकि धरना प्रदर्शन प्रदीप जैन आदित्य आदि लोगों के नैतृत्व में हो रहा था , इसलिए इस बात का अन्दाजा नहीं था कि ये लोग हाईवे पर जाकर जाम कर देंगे। यह कहना सही है कि आने -जाने वाले व्यक्तियों को जाम के दौरान परेशानी हुई थी। मैं जाम के दौरान मौके पर ही उपस्थित था। मुझे जब जाम लगा था, तब गाड़ी व ड्राईवर को छोड़कर सभी हमराही मौके पर उपस्थित थे। हाईवे पर ट्रक , बसे, फोर व्हीलर, एंबुलेंस लगभग सभी प्रकार के वाहन थे, किसी भी वाहन के नम्बर नहीं लिए थे, न ही एफ०आई०आर० में अंकित किए हैं, जिन यात्रियों अथवा ट्रक चालक व अन्य वाहन चालकों के नाम जो परेशान हुए थे, उनको मैंने एफ०आई०आर० में गवाह नहीं बनाया था, चूँकि बहुत तगड़ा जाम था, इसलिए गाड़ी नं० व नाम पते करना संभव नहीं था। जिन यात्रियों को परेशानी हुई थी, उनमें से किसी भी व्यक्ति ने मेरे थाने पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी थी। जिन ट्रक चालकों को गालियाँ देना बाताया है, उनमें से किसी ने मेरे थाने पर प्रार्थमिकी दर्ज नहीं करायी थी। मैंने किसी बस यात्री का कोई टिकट नहीं लिया था, कि वह कहा से आया है और कहा जा रहा है। घटना स्थल पर कोई तोड़-फोड़ नहीं हुई थी। चूँकि जाम बहुत तगड़ा था। इसी कारण लगभग सभी प्रशासनिक एवं पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर आ गए थे, सभी के स्पष्ट नाम नहीं

बता सकता हूँ। मैंने पुलिस के किसी भी उच्चाधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट में गवाह नहीं बनाया, इसका कारण मैं नहीं बता सकता। किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आयी थी, इसलिए मैंने कोई डॉक्टरी नहीं करायी थी। जाम रात्रि करीब पौने आठ बजे तक चला था। घटना स्थल से पारीछा रिपोर्टिंग चौकी करीब 500 मी० की दूरी पर है। तथा घटना स्थल से थाने की दूरी पाँच किमी० है, चूँकि रिपोर्टिंग चौकी पास थी, इसलिए मैंने घटना की रिपोर्ट पारीछा रिपोर्टिंग चौकी में करायी थी। घटना की रिपोर्ट मैंने समय 22:00 बजे रात्रि में करायी थी। चूँकि जाम अधिक होने के कारण लोगों को निकालने व वाहन को व्यवस्थित करने में समय लगा था। देरी का कारण मैंने प्रार्थमिकी में दर्ज किया था या नहीं किया मुझे आज याद नहीं है। यह कहना गलत है कि उक्त दिनांक व समय को नेशनल हाईवे पर किसी प्रकार का जाम न लगा हो, न ही कोई घटना घटित हुई हो। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किए जाने के उपरान्त मैंने विवेचना उप०नि० छत्रपाल सिंह को दी थी। एस०आई० छत्रपाल सिंह को घटना स्थल पर नहीं ले गया था। मैं यह नहीं बता सकता कि एस०आई० छत्रपाल सिंह पास उक्त प्रकरण की विवेचना कितने दिनों तक रही थी। मैं यह नहीं बता सकता कि इनका स्थानान्तरण होने के बाद पुष्पा सिंह को विवेचना प्राप्त हुई थी या नहीं। मैं यह भी नहीं बता सकता कि उप०नि० एम०पी० सिंह को इसकी विवेचना प्राप्त हुई थी या नहीं। मुझे यादन नहीं है। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था, जब मैं जनपद ललितपुर में थानाध्यक्ष नरकौरा था। उस समय एस०आई० उदयवीर ने पहुँचकर बयान लिए थे। तारीख मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं है कि इस घटना के कितने दिन बाद मेरा स्थानान्तरण जनपद ललितपुर में हुआ था। उदयवीर सिंह से पूर्व मेरे बयान अन्य दरोगा या विवेचक ने नहीं लिए थे। मुझे यह याद नहीं है कि दरोगा जी ने मेरे बयान तीन माह बाद लिए हो और यह बयान दरोगा जी ने थाना लखोरा, जनपद ललितपुर में लिए थे। दरोगा जी ने बयान लेने के लिए मुजे झाँसी नहीं बुलवाया था। मैं विवेचक को लेकर घटना स्थल पर नहीं गया था। मुझे याद नहीं है कि अन्य किसी विवेचक को घटना स्थल पर लेकर गया था या नहीं। यह कहना गलत है कि मैंने राजनैतिक द्वेष भावना से नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध राजनैतिक दबाव के कारण मुकदमा पंजीकृत करवाया हो और फर्जी घटना स्थल को दर्शाया हो।

17– अभियोजन की ओर से परीक्षित समस्त साक्षीगण के साक्ष्य के समेकित अवलोकन से अभियोजन द्वारा **अभियोजन साक्षी क्रमांक–5** उ०नि० उदयवीर सिंह(विवेचक) के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.07.2014 को चौकी पारीछा थाना बड़ागांव पर तैनात था। इसके पूर्व में थाना नवाबाद जनपद झांसी में नियुक्त था। दिनांक 11.06.2013 को समय 22.00 बजे चिक सं०–24/13, अ०सं०–114/13, धारा–147,143,149,341,504, 506,188,186, 145 भा०दं०सं० व धारा–7 सी०एल०ए० एक्ट बनाम प्रदीप जैन आदित्य आदि 15 नफर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की थी। उक्त अभियोग की विवेचना पूर्व में पर्चा सं०–1 लगायत 7 अन्य विवेचक द्वारा सम्पादित की गयी थी। उक्त अभियोग की विवेचना चौकी पारीछा थाना बड़ागांव में आने के पश्चात उपनिरीक्षक को दी गयी। दिनांक 18.07.2014 को उसने पर्चा सं०–8 किता किया था। जिसमें उसने अपने द्वारा विवेचना गृहण करने का उल्लेख किया है। दिनांक 02.08.2014 को उसने पर्चा सं०–9 किता किया जिसमें उसने पूर्व विवेचक द्वारा किता की गयी केस डायरियों के अवलोकन का उल्लेख किया गया है। दिनांक 09.08.2014 को उसने पर्चा सं०–10 किता किया, जिसमें उसने गवाह, एफ०आई०आर०, का० 839 सी०पी० करतार सिंह के बयान अंकित किये थे। दिनांक 30.08.2014 को उसने पर्चा नं०–11 किता किया जिसमें बयान गवाह, का० 60 लवकुश तिवारी का बयान अंकित किया था। दिनांक 14.09.2014 को उसने पर्चा सं०–12 किया किया, जिसमें बयान गवाह एफ०आई०आर०, का० 1036 आनन्द स्वरूप का बयान अंकित किया था। दिनांक 29.09.2014 को उसने पर्चा सं०–13 किता किया जिसमें बयान गवाह एफ०आई०आर० 1350 का० दीपक कुमार का बयान अंकित किया था। दिनांक 09.10.2014 को उसने पर्चा सं०–14 किता किया जिसमें का० 426 सी०पी० बयान लेते समय का० 23 ए०पी० संजीव कुमार का बयान अंकित किया था। दिनांक 20.10.2014 को उसने पर्चा सं०–15 किता किया जिसमें उसने बयान वादी मुकदमा हाकिम

सिंह पूर्व थानाध्यक्ष बड़ागांव के बयान अंकित किये थे। दिनांक 21.10.2014 को पर्चा सं०–16 किता किया, जिसमें अभियुक्तगण प्रदीप जैन आदित्य, रजनीश श्रीवास्तव, वीरेन्द्र सिंह, राहुल राय, नावेद खान, शादाब भाई, राहुल गुप्ता, नरेश चन्द्र विल्धारिया, सलमान अहमद, सुहैल जैन, हरीश कपूर उर्फ टीटू, सौरभ जैन, शेरखान, मनोज कुमार के बयान अंकित किये थे तथा उपरोक्त विवेचना में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा–143, 147, 149, 504, 506, 145, 341, 188, 186 भा०दं०सं० व धारा–7 सी०एल०ए० एक्ट का अपराध साबित होने का आरोप पत्र सं०–89/2014 द्वारा चालान न्यायालय किया गया। गवाह ने पत्रावली संलग्न कागज सं० –3 ए को पढ़कर देखकर व अपने हस्ताक्षर पहचान कर कहा कि यह वही आरोपपत्र है, जिसे उसने दिनांक 21.10.2014 को अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, जिसकी शिनाख्त की है, जिसे प्रदर्श क–3 के रूप में प्रमाणित किया है। दिनांक 20.11.2014 को उसके द्वारा तितम्भा पर्चा प्रथम किता किया गया था, जिसमें धारा–506 भा०दं०सं० व 7 सी०एल०ए० एक्ट होना नही पाया गया।

18 उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि " घटना के समय मैं नवाबाद में तैनात था। स्वयं कहा कि घटना के समय मैं थाना नवाबाद में तैनात नहीं था, दूसरे जिले में तैनात था। मुझे विवेचना कौनसी तारीख को मिली थी, यह याद नहीं है। मुझसे पहले इस प्रकरण की विवेचना उप०नि० छत्रपाल सिंह, उमाकान्त, अचल सिंह, आदि विवेचक करते रहे हैं। एफ०आई०आर० पंजीकृत होने के करीब एक वर्ष बाद मुझे उक्त प्रकरण की विवेचना प्राप्त हुई थी। मुझे विवेचना प्राप्त होने के उपरान्त इस प्रकरण की विवेचना मेरे पास करीब तीन–चार माह तक रही। तीन चार माह के उपरान्त मैंने इस प्रकरण का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने के उपरान्त करीब एक वर्ष चार माह के बाद इस प्रकरण की विवेचना सम्पूर्ण होकर आरोप पत्र के साथ न्यायालय में प्रेषित की गयी। मेरे अनुसार इन धाराओं में 90 दिन के अन्दर विवेचना पूर्ण कर न्यायालय आरोप पत्र विरचित कर देना चाहिए। यह कहना गलत है कि इन धाराओं में विवेचना 60 दिन में पूर्ण हो जानी चाहिए। मैंने घटना स्थल का नक्शा नजरी नहीं बनाया था। पूर्व विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जा चुका था। इस कारण मैंने नक्शा नजरी नहीं बनाया था। मैंने किसी स्थान का निरीक्षण नहीं किया था। मैंने वादी मुकदमा का बयान अंकित किया था। मुझे तारीख याद नहीं है। मैं यह नहीं बता सकता कि वादी मुकदमा का बयान कहा लिया था। मुझे दौरान विवेचना ढाई सौ तीन सौ आदमियों की जानकारी नहीं हुई थी। जब मैंने विवेचना की वहाँ पर मुझे जनता का कोई व्यक्ति नहीं मिला था। मैंने दौरान विवेचना पारीछा जहाँ घटना स्थल है, वहाँ पर किसी भी फल वाले, ठेले वाले अथवा अन्य स्वतंत्र गवाह का कोई बयान अंकित नहीं किया था। दौरान विवेचना मुझे किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई थी। मुझे कोई भी माल बरामदगी भी किसी विवेचक अथवा थाने से किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया गया था। मैं यह नहीं बता सकता कि विवेचना के दौरान गवाहों से यह बात पूँछी हो कि आप जो टूट–फूट करना बता रहे हैं। उसमें कोई बरामदगी हुई थी अथवा नहीं। मैंने दौरान विवेचना गवाहान से अथवा वादी मुकदमा से थाने से रवाना होते समय कौन–कौनसे असलाहा व अन्य सामान लेकर रवाना हुए थे और लोटकर आकर कौन–कौनसे सामान जमा किए थे। मैंने गवाहों से यह नहीं पूछा था कि घटना स्थल पर कौन–कौनसे उचाधिकारी मौके पर आए थे। मैंने वादी मुकदमा से यह बात नहीं पूछी थी की वीरेन्द्र सिंह का नाम वीरेन्द्र सिंह राजपूत कैसे अंकित कराया था। मैंने वादी से यह बात भी नहीं पूछी थी कि सुनील जैन निवासी–मानिकचौक का नाम किस आधार पर अंकित करा दिया। मैंने दौरान विवेचना सुनील जैन नामक व्यक्ति की तालाश की थी। इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं पाया गया। मेरी विवेचना में सुनील जैन नामक व्यक्ति नहीं पाया गया, उसके उपरान्त भी मैंने वादी मुकदमा से यह नहीं पूछा था कि आपने सुनील जैन का नाम एफ०आई०आर० में किस आधार पर अंकित कराया है। यदि मैंने अपनी विवेचना में राहुल गुप्ता नामक व्यक्ति का पता गुदरी मोठ लिखा हो, तो ये बात मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने गवाहान के बयान नहीं लिए है और इसी कारण घटना स्थल पर नहीं गया हूँ। यह कहना गलत है कि मैं एस०ओ० बड़ागाँव का अधीनस्थ अधिकारी होने के कारण मैंने झूठी विवेचना की है और मुल्जिमानों के

विरूद्ध झूँठा आरोप पत्र प्रेषित किया हो।

19– अभियोजन की ओर से परीक्षित समस्त साक्षीगण के साक्ष्य के समेकित अवलोकन से अभियोजन द्वारा **अभियोजन साक्षी क्रमांक–6** उप०नि० अचल सिंह के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.03.2014 को चौकी प्रभारी पारीछा थाना बड़ागांव में नियुक्त था। दिनांक 11.06.2013 को थाना बड़ागांव में मु०अ०सं०–114/2013 बनाम प्रदीप जैन आदि 15 नफर ज्ञात व 250–300 अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उक्त साक्षी से पूर्व एस०आई० महेन्द्र प्रताप सिंह उक्त प्रकरण की विवेचना कर रहे थे। दिनांक 09.03.2014 को प्रभारी निरीक्षक थाना बड़ागांव के आदेश से विवेचना गृहण किये थे। दिनांक 09.03.2014 को उसने पर्चा सं०–4 किता किया, जिसमें विवेचना गृहण करने का उल्लेख है। दिनांक 23.05.2014 को उसने पर्चा सं०–5 किता किया, जिसमें उसने पूर्व के विवेचक के पर्चे का अवलोकन करते हुए लिख दिया। दिनांक 26.05.2014 को उसके द्वारा पर्चा सं०–6 किता किया गया। जिसमें उसने गवाहान का पता दिया कि कौन सा गवाह कहाँ रहता है। दिनांक 03.06.2014 को उसने पर्चा सं०–7 किता किया जिसमें उसके द्वारा का० हरिमोहन लिटौरिया के बयान अंकित किये गये तथा हरिमोहन के निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया व नक्शा नजरी तैयार किया। गवाह ने पत्रावली संलग्न कागज सं०–9ए देखकर व पढ़कर व हस्ताक्षर पहचान कर कहा कि यह वही नक्शा नजरी है, जिसे उसने का० हरिमोहन लिटौरिया के निशादेही पर तैयार किया था। उक्त कागज सं०–9ए उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी उसने पुष्टि की है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। उक्त के पश्चात उक्त साक्षी का स्थानान्तरण हो गया था।

20– उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि "मुझे थाना बड़ागाँव में अपना हस्तान्तरण होकर आने की सही तारीख याद नहीं है। मैं दिनांक 09.03.2014 को जिस दिन मुझे उक्त प्रकरण की विवेचना प्राप्त हुई थी, उसके एक दिन पूर्व स्थानान्तरित होकर थाना बड़ागाँव आया था। इस विवेचना का पहला पर्चा संख्या–4 अपने हस्तलेख में दिनांक–09.03.2014 को काटा था। गवाह ने केस डायरी देखकर कहा कि यह वही पर्चा है, जिसे मैंने 09.03.2014 को किता किया है। यह पर्चा मेरे हस्तलेख मे हैं। मैंने उक्त पर्चे में दिनांक – 04.03.2014 को विवेचना ग्रहण होने का उल्लेख किया है। प्रश्न–जैसा कि आपने अपने बयानों में कहा है कि मैं दिनांक–09.03.2014 को जिस दिन मैंने पहला पर्चा किता किया था, जो पत्रावली में पर्चा संख्या–4 है , जिसके एक दिन पहले थाना–बड़ागाँव स्थानान्तरित होकर आया था तो क्या कारण है कि इस पर्चे में दिनांक–04.03.2014 लिखी है, जबकि आप थाने पर स्थानान्तरित होकर नहीं आए थे। उत्तर– मैं दिनांक–04.03.2014 से पहले ही थाना बड़ागाँव में आ गया था, लेकिन मैं पूर्व में ही लिखा चुका हूँ कि मुझे थाना बड़ागाँव में अपने पद स्थापना कि सही सही तारीख याद नहीं है। जिस दिन मुझे विवेचना प्राप्त हो गयी थी, उसी दिन मैंने विवेचना की शुरूआत नहीं की थी। मैंने विवेचना दिनांक–23.05.2014 को शुरू की थी। मैंने विवेचना की शुरूआत दो माह बाद इसलिए की थी कार्यसरकार व कानून व्यवस्था कार्य बहुत है। यदि अभियुक्त जेल में हो तो 90 दिन के पूर्व धारा–173 सी०आर०पी०सी० की रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर देनी चाहिए यदि अभियुक्त जेल में नहीं है तो कितने दिनों बाद विवेचना पूर्ण हो जानी चाहिए, इसकी जानकारी न होने के कारण उक्त विवेचना दो माह बाद शुरू की और विवेचना में विलम्ब हुआ। पूर्व विवेचक के द्वारा 15 नफर ज्ञात अभियुक्तगण के आधार पर मैंने जारी विवेचना को आगे जारी किया था। मैं कभी नामजद अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने नहीं गया। मैं कभी अभियुक्तों के घर पर भी नहीं गया। मुखबिर ने बताया कि राजनेता है, दबंग लोग हैं ज्यादातर बाहर रहते है। मुखबिर ने बताया था कि केन्द्रीय मंत्री प्रदीप जैन बाहर रहते हैं। मैं पहले ही कह चुका हुँ कि मैंने ज्यादा जानकारी करने का प्रयास ही नहीं किया। इसी कारण सुनील जैन नामक अभियुक्त के बारे में जानकारी नहीं की। यदि सुनील जैन नामक व्यक्ति न हो तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वादी मुकदमा का बयान मुझसे पूर्व विवेचक ने लिया होगा यह मैं सही नहीं बता सकता। चूँकि मामले के वादी मुकदमा हाकिम सिंह का स्थानान्तरण मेरे थाना–बड़ागाँव में पदस्त होने से पूर्व हो गया था। इस कारण मैंने वादी मुकदमा का बयान अंकित नहीं किया। जोकि मुझसे संपर्क नहीं हो पाया था।

मुझे ध्यान नहीं है कि जिस दिन मुझे विवेचना मिली उससे पूर्व वादी मुकदमा का बयान हो चुका था या नहीं। मैंने प्रयास किया था कि वादी मुकदमा के निशानदेही पर नक्शा बनाना चाहिए लेकिन वादी मुकदमा उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में नक्शा नजरी तैयार किया था। मेरे अनुसार घटना के घटित होने के 24 घण्टे के अन्दर घटना स्थल का निरीक्षण हो जाना चाहिए और घटना स्थल का नक्शा नजरी भी बनकर तैयार हो जाना चाहिए। प्रश्न–जब आपको उक्त नियम की जानकारी थी कि घटना के 24 घण्टे के अन्दर घटना स्थल का निरीक्षण नक्शा नजरी तैयार हो जाना चाहिए उसके उपरान्त भी आपने दिनांक –09.03.2014 को विवेचना प्राप्त होने के बाद दिनांक–03.06.2014 को घटना स्थल का निरीक्षण किया और करीब दो माह बाद घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाया? उत्तर–एफ०आई०आर० में सम्मिलित वादी साक्ष्य में का० हरिमोहन लिटौरिया जब मुझे उपलब्ध हुए, तब मैंने नक्शा नजरी बनाया। मुझे जो जगह का० हरिमोहन लिटौरिया ने बतायी थी। उसी स्थान पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसी स्थान की धरना प्रदर्शन की अनुमति थी। उसी स्थान का नक्शा नजरी बनाया था। यह कहना गलत है कि जिस स्थान का मैंने नक्शा नजरी बनाया था, उस स्थान पर धरना प्रदर्शन न चल रहा हो और जिस स्थान की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गयी हो। हरिमोहन लिटौरिया ने जो बयान दिया था, वही बयान मैंने अंकित किया था। उन्होंने प्रदीप जैन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। मैंने घटना स्थल पर जाकर नक्शा नजरी तैयार किया था। वही नक्शा नजरी पत्रावली में प्रदर्श क–4 के रूप में संलग्न है। हाईवे पर स्ट्रीट लाईट व बिजली के खम्भे लगे हैं, मैंने नक्शा नजरी दिन में बनाया था, वहाँ पर बैंक ऑफ इण्डिया है, जिसका मैंने उल्लेख किया है। हाईवे पर दोनों तरफ सर्विस लैन है, और वह चालू रहते हैं। लोग आते–जाते रहते हैं। वहाँ पर फल आदि के ठेले खड़े रहते हैं मुझे ध्यान नहीं है। मैं जब नक्शा नजरी तैयार करने गया था, तो मैंने वहा किसी व्यक्ति का बयान अंकित नहीं किया था। गवाह ने प्रदर्श क–4 देखकर बताया कि मैंने जिस सर्विस लैन का होना बताया है, उसका उल्लेख नक्शा नजरी में नहीं किया है। हाईवे फोर लैन का है। नक्शा नजरी फोर लैन है, लेकिन मैंने नक्शा नजरी में फौर लैन का कॉलम नहीं काटा है और न ही फोर लैन होने का उल्लेख नक्शा नजरी में इण्डेक्स में किया है। यह कहना सही है कि मैंने नक्शा नजरी में बिजली के खम्भे जिन्हें में नेशनल हाईवे पर होना बता रहा हूँ, उनका उल्लेख भी नक्शा नजरी में नहीं किया है और न ही स्ट्रीट लाईट का उल्लेख नक्शा नजरी में किया है। मैंने दौरान विवेचना इस मुकदमे से संबंधित किसी भी वीमार व्यक्ति बस ट्रक चालक आदि का बयान नहीं लिया है। और न ही किसी उच्चाधिकारी का बयान अंकित किया है। यह कहना गलत है कि मैं उक्त घटना स्थल पर कभी न गया हूँ। और मैंने थाने पर बैठकर ही फर्जी नक्शा नजरी तैयार की हो और इसी कारण दोषपूर्ण विवेचना की हो।

21– अभियोजन की ओर से परीक्षित समस्त साक्षीगण के साक्ष्य के समेकित अवलोकन से अभियोजन द्वारा **अभियोजन साक्षी क्रमांक–7** लवकुश तिवारी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक–11.06.2013 को वह थाना बड़ागांव में का० के पद पर तैनात था। प्रदीप जैन अपने साथियों के साथ धरना पर बैठे थे तथा हमारी डयूटी वहां लगी थी। वहाँ पर प्रदीप जैन के समर्थक दो–तीन सौ के समूह में आ गये और ऊपर वाली हाईवे पर दोनों तरफ से जाम कर दिये। पुलिस प्रशासन तथा उसने जाम हटाने के लिए काफी समझाया–बुझाया गया, लेकिन उक्त सभी लोग पुलिस को ही गाली–गलौज करते हुए धमकी देने लग गये। उनके जाम के लिए बैठने से दोनों तरफ काफी जाम लग गया। जब किसी तरह किसी को निकालने का प्रयास करते थे तो प्रदीप जैन के आदमी पीट देते थे। इस घटना के संबंध में आला अफसर को बताया गया फिर आवश्यक बल प्रयोग कर जाम को खुलवाया गया उसके बाद प्रदीप जैन व उनके साथियों के विरूद्ध थाना बड़ागांव में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। यह घटना उसकी आँखो के सामने घटी थी। आरोपित मुल्जिम पुलिस प्रशासन व थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन को गालियां देते हुए नारेबाजी कर रहे थे तथा अवशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। इन लोगों के द्वारा किकये गये कृत न्याय विरूद्ध व आपराधिक कृत था जो किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य नही है। अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त विवेचना अधिकारी द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी। आरोपपत्र मा० न्यायालय में प्रदीप जैन,

रजनीश, वीरेन्द्र सिंह, राहुल राय, नावेद खान, सदाव खान, राहुल गुप्ता, नरेश चन्द्र विलाहाटिया, सलमान, सुहैल जैन, हरीश कपूर, सैरब जैन, शेर खान व मनोज कुमार के विरूद्ध प्रेषित किया गया।

22– उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि " मै घटना वाले दिन थाना बड़ागाँव में तैनात था। मै उस समय कां० के पद पर तैनात था। घटना दिनांक 11.06.2013 की है। घटना करीब 2–2.30 बजे की है। मेरी ड्यूटी घटनास्थल पर शांति व्यवस्था हेतु लगी हुई थी। उस दिन मैं एस०ओ० का हमराहीयान था। मेरी ड्यूटी सुबह 10 बजे से लगी और घटना की समाप्ति तक ड्यूटी थी। धरना 4–5 बजे समाप्त हो गया था। मेरी ड्यटी तब बतौर हमराहीयान थी तब मैं थाने पारीक्षा थर्मल पावर सुबह दस बजे रवाना हुआ था। मेरे अलावा हरिमोहन लिटौरिया, करतार सिंह, मिश्रा सिपाही एस०ओ० से साथ जीप से मय ड्राइवर हरिमोहन लिटौरिया रवाना हुए थे। जब हम लोग थाने से रवाना हुए थे तो बोड़ी प्रोटेक्टर डंडा आदि लेकर रवाना हुए। हम लोग बंदूक लेकर रवाना नही हुए थे। मै यह नही बता सकता कि थाने से रवाना होते समय जो सामान एस०ओ० के साथ ले जाना बता रहा हूँ, उसका इंद्रराज रवानगी जी०डी० पर किया गया था अथवा नही। यह बात सही है कि कोई सामान थाने से लेकर जाया जाता है तो रवानगी जी०डी० पर हवाला दिया जाता। धरना थर्मल पावर पुल के नीचे चल रहा था, इसके अलावा कही नही चल रहा था। यह कहना गलत है कि उक्त धरना पारीक्षा थर्मल पावर पुल के नीचे नही चल रहा हो। पुल के नीचे जब धरना चल रहा था, तब हम पुलिस वालो ने धरना करने वाले को हटाने का प्रयास बिल्कुल नही किया। पुल के ऊपर हाई–वे पर जाम होने पर हटाने का प्रयास किया। मैं यह नही बता सकता कि भीड़ में कौन से व्यक्ति ने किसको गाली दी थी। जो भीड़ थी उसमें किसी व्यक्ति ने किसको मारा पीटा था मैने नही देखा था। हाई–वे के चार लेन (बाई तरफ है) तथा चार लेन डिवाईडर के दाहिने तरफ है। पुल के नीचे दो सर्विस लेन जिसमें एक रास्ता बाई ओर से कानपुर को जाता है, तथा दाई ओर कानपुर से झाँसी की ओर जाता है। मेरे अनुसार उपरोक्त सभी व्यक्ति पुल के ऊपर जाम लगाए थे। पुल के नीचे कोई भी जाम नही लगाए थे। पुल के सभी आने जाने वाले रास्ते पर जाम लगे थे। दरोगा जी ने मेरा ब्यान लिया था। मैने दरोगा जी को यह बात बताई थी कि पुल के ऊपर कुल आठ लेन है और आठों लेन पर जाम लगा हुआ था। मै यह नही बता सकता कि मैने दरोगा जी को पुल के ऊपर बिजली के खम्बे लगे होने की बात कही थी या नही। मुझे याद नही है कि बैंक आफ बरौदा उक्त हाई–वे से कौन सी तरफ है। धरना करने वाले किसी व्यक्ति ने किसी वाहन आदि की तोड़फोड़ नही की थी न ही मैने देखी थी। मै यह नही बता सकता कि कौन–कौन से व्यक्ति ने धरना दिया था या जाम लगाया था। जब धरना समाप्त हो गया उसके बाद हम लोग थाने आए थे। मुकदमा थाने पर ही लिखा गया था। यदि रिपोर्टिंग चौकी पारीक्षा थर्मल पावर में मुकदमा लिखा गया हो, तो यह गलत है। यह कहना गलत है कि रिपोर्टिंग चौकी पारीक्षा थर्मल पावर चौकी में ही लिखा गया हो। थाने पर किसी व्यक्ति ने तहरीर नही दी थी। एस०ओ० साहब श्री हाकिम सिंह ने स्वयं लिखकर तहरीर दी थी। थाने के मुंसी ने उनकी तहरीर पर मुकदमा लिखा था। मै जब मुकदमे की तहरीर थाने पर एस०ओ० लिख रहे थे,तब मै थाने पर ही मौजूद था। मेरे एस०ओ० साहब ने जो तहरीर थाने पर लिखी उस पर मेरे हस्ताक्षर कराए थे। मेरे अलावा और किसके हस्ताक्षर कराए थे, मालूम नही है। यह कहना गलत है कि उक्त मुकदमे की तहरीर एस०ओ० साहब हाकिम सिंह ने ना लिखी हो और उक्त तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर न कराए हो और उक्त मुकदमा थाना बड़ागाँव में पंजीकृत न होकर पारीक्षा थर्मल रिपोर्टिंग चौकी में पंजीकृत एस०ओ० हाकिम सिंह की जुबानी पर लिखा गया हो। गवाह को पत्रावली में संलग्न प्रदर्श क 1 दिनांकित 14.01.2022 के प्रथम सूचना रिपोर्ट जो दिनांक 11.06.2013 को पारीक्षी चौकी थाना बडागाँव दिखाई गई जिसे देखकर गवाह ने कहा कि इस पर वादी जुबानी को बोला गया अक्षरसः अंकित है, पढ़कर सुनाया गया । उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पारीक्षा थर्मल पावर में ही अंकित हुई है।

23– बचाव पक्ष की ओर से मात्र एक साक्षी रजनीश श्रीवास्तव को DW–1 को न्यायालय के समक्ष परिक्षित कराया। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं

केन्द्रीय मंत्री प्रदीन जैन आदित्य के अतिरिक्त निजी सचिव के रुप में उस समय कार्यरत था। मैं डेपोटेशन पर केन्द्रीय सेवा में उक्त पद पर गया था। डेपोटेशन के पूर्व मै बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। मैं प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक में कार्यरत था। अतिरिक्त निजी सचिव की नियुक्ती महामहीम राष्ट्रपति की संस्तुति पर प्रत्रांक सं० 11013/2/2009 को मुझको केन्द्रीय मंत्री ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री प्रदीप जैन का अतिरिक्त निजी सचिव नियुक्त किया गया था। दिनांक 01.11.2012 से मैं अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर कार्यरत था। अतिरिक्त निजी सचिव की जिम्मेदारी माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए शासकीये निर्देशो का अनुपालन कराना है। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह मैं कथन किया है कि श्री प्रदीप जैन आदित्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। वर्ष 2103 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नही थी। मैं उस समय वरिष्ठ श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के पद पर कार्यरत था। मेरा मूल निवास जनपद झाँसी है। अतिरिक्त निजी सचिव का काम माननीय मंत्री के साथ रहे व उनके आदेशो का पालन करे। जून 2013 में बिजली की बहुत कटौती होती थी। मैं अखबार पड़ता हूँ, व टी०वी देखता हूँ। मुझे यह जानकारी नही है कि 11.06.2013 को जनपद झाँसी में धारा 144 crpc लागू थी। जून 2013 में मैं जिस मोबाईल फोन का प्रयोग करता था, वह नंबर याद नही है। मैं 11.06.2013 को थाने पर नही ले जाया गया था। मैं इस मुकदमें में शामिल नही था, बाकी लोग भी शामिल नही थे। जिस समय की यह घटना बताई जा रही है, उस समय मैं झाँसी में था। यह मुझे याद नही है कि, मैं घर पर था या नही। लेकिन मैं झाँसी में था और मुल्जिमानो के विषय मे जानकारी नही है कि वो लोग कहा थे। बाद मे मुझे बताया गया कि आरोपित मुल्जिमान घटनास्थल पर नही थे। यह बात याद नही है कि मुझे किसने बताया था । विवेचक को कोई झाँसी में रहने का प्रमाण पत्र नही दिया था, न ही माँगा गया था।

24– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ता की वहस को विस्तार पूर्वक सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी वहस के दौरान यह कथन किया है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपो को न्यायालय के समक्ष सात अभियोजन साक्षीगणों को परिक्षित कराया गया है उक्त सभी साक्षीगणों ने घटना एवं अन्य पुलिस प्रपत्रो को सन्देह से परे साबित किया है अतः अभियुक्तगणो को अधिक से अधिक सजा से दंडित किए जाने की याचना की गई है।

25– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपनी वहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाए जाने का कोई स्पष्टीकरण वादी मुकदमा श्री हाकिम सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित नही कराया है। क्योंकि अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक 11.06.2013 को समय 15.45 बजे का होने का कथन किया है जबकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पारीक्षा थर्मल पावर रिपोर्टिंग चौकी थाना बड़गाँव जो कि घटनास्थल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर थी,इसके बावजूद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से समय 22.00 बजे दिनांक 11.06.2013 को अंकित कराई गई। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली में विवेचक द्वारा वादी मुकदमा एस०ओ० हाकिम सिंह व अन्य हमराहीगण के थाने से रवानगी जी०डी० पत्रावली पर न तो दाखिल की गई है और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त रवानगी जी०डी० को न्यायालय के समक्ष साबित कराया गया है जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह कथन किया है कि घटना वाले दिन दिनांक 11.06.2013 को प्राशासन द्वारा धारा 144 crpc लागू थी। परंतु विवेचक द्वारा धारा 144 crpc के आदेश को पत्रावली में प्रस्तत नही किया है और न ही अभियोजन द्वारा उक्त आदेश को किसी भी अभियोजन साक्षीगण द्वारा साबित कराया गया है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि pw-4 वादी मुकदमा एस०ओ० हाकिम सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उक्त घटना से संबंध में इनके द्वारा रिपोर्टिंग चौकी पारीक्षा पर समय करीब 22.00 बजे जुबानी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई थी। जब कि साक्षी pw-7 श्री लवकुश तिवारी ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना बड़ागाँव में लिखी गई थी , न कि

पारीक्षा चौकी पर लिखी गई थी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एस०ओ० हाकिम सिंह स्वयं तहरीर लिखकर थाने के मुंसी को लिखकर दी थी जिसके आधार पर मुकदमा कायम हुआ था। उपरोक्त दोनो साक्षीगण का साक्ष्य परस्पर विरोधाभाषी है जिससे घटना का घटित होना संहेदात्मक प्रतीत होता है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि उक्त घटना की विवेचना विवेचना अधिकारी द्वारा की गई विवेचना में अत्यंत कमीयाँ है। विवेचना अधिकारी द्वारा घटना का नक्सा नजरी अत्यंत विलम्ब से और मौके के लिहाज से गलत बनाया गया है। विवेचना अधिकारी द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किया है कि मैने ज्यादा जानकारी करने का प्रयास ही नही किया इसी कारण सुनील जैन नामक अभियुक्त की जानकारी नही की। घटनास्थल पर किसी भी व्यक्ति ठेलेवाले या अन्य किसी फल वाले का ब्यान अंकित किया गया और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया। अतः उपरोक्त विरोधाभाषी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने की याचना की गई।

<u>साक्ष्य का विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

26– बचाव पक्ष की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित किए जाने का कथन अपनी बहस में किया है, इस संबंध में साक्षी पी०डब्लू० 4 वादी मुकदमा एस०ओ० हाकिम सिंह, थाना–बड़ागाँव द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किया गया है कि घटना स्थल से पारीछा रिपोर्टिंग चौकी करीब 500 मी० की दूरी पर है। घटना दिनांक–11.06.2013 को समय 15:45 बजे की है, जबकि घटना की रिपोर्ट रिपोर्टिंग चौकी पारीछा पर दिनांक–11.06.2013 को समय 22:00 बजे वादी मुकदमा हाकिम सिंह की जुबानी सूचना पर अंकित करायी गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण दर्शित नहीं किया गया। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाए **<u>महेश बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009)3 SCC (Criminal)543</u>** "In many cases FIRs are registered with unexplained and undue delays which costs shadow of doubt over the case of the prosecution. In cases where the complainants lodge their FIRs with the police with unexplained delays, the investigating officers must question the informant during investigation about the delay and record his explanatory statement behind the delays in his statement u/s 161 of the CrPC It is often seen that a complainant who was not interrogated by the investigating officer on the point of delay during investigations, tries to explain the delay for the first time in the witness box in the court during trial of the case when he is confronted by the defence counsel as cross examiner. Such improvements are new statements which had not been recorded by the investigating officer u/s. 161 of the CrPC during investigation is looked upon with suspicion by the courts and unless otherwise found cogent and reliable is discarded. It is, therefore obligatory on the part of an investigating officer to put questions to the complainant eliciting from him explanatory information behind the delayed lodging of FIR so that the same be used by the prosecution to satisfy the court during trial of the case as supportive explanation of the depositions of the complainant as prosecution witness before the court. It has been the settled law that if the delay behind registration of FIR is satisfactorily explained by the complainant witness then the delay in lodging FIR does not adversely affect the prosecution case. If causes are not attributable to any effort to concoct a version and the delay is satisfactorily explained by prosecution, no consequence shall be attached to mere delay in lodging FIR and the delay would not adversely affect the case of the prosecution. Delay caused in sending the copy of FIR to Magistrate would also be immaterial if the prosecution has been able to prove its case by its reliable evidence. Certain

important judicial pronouncements of the Supreme Court on delayed FIRs and their consequences are as under:" प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा एस०ओ० हाकिम सिंह पी०डब्लू० 4 ने अपनी जिरह में प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में कथन किया है कि जाम रात्रि करीब पौने आठ बजे तक चला था। घटना स्थल से पारीछा चौकी रिपोर्टिंग करीब 500 मी० की दूरी पर है तथा घटना स्थल से थाने की दूरी पाँच किमी है। चूँकि रिपोर्टिंग चौकी पास थी। इसलिए मैंने घटना की रिपोर्ट पारीछा रिपोर्टिंग चौकी में करायी थी। घटना की रिपोर्ट मैने समय 22:00 बजे करायी थी क्योंकि जाम अधिक होने के कारण लोगों को निकालने व वाहन को व्यवस्थित करने में समय लगा था। देरी का कारण मैंने प्राथमिकी में दर्ज किया था या नहीं मुझे आज याद नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा अपने जिरह में स्पष्ट कथन किया है कि जाम को खुलवाने एवं वाहन को व्यवस्थित करने में समय लगा, जिस कारण से प्रथम सूचना रिपोर्ट पारीछा चौकी पर समय 22:00 बजे अंकित करायी जा सकी। उक्त प्रथम सुचना रिपोर्ट के विलम्ब का कारण स्वाभाविक प्रतीत होता है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए वादी मुकदमा द्वारा अपने साक्ष्य में विलम्ब का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है, जो स्वाभाविक है।

27— बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया था कि अभियोजन पक्ष द्वारा वादी मुकदमा व हमराही के थाने से घटना स्थल पर जाने के संबंध में रवानगी जी०डी० को न्यायालय के समक्ष साबित नहीं कराया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **STATE Vs. H. SRINIVAS 2018 SCC ONLINE SC 576** is held that as the concept of maintaining general diary has its origin under the section 44 of Police Act of 1861 as applicable to states, which makes it an obligation for the concerned Police Officer to maintain a general diary, but such non-maintenance per se may not be rendering the whole prosecution illegal .The Court noticed that CrPc itself as differentiated between irregularity and illegality. The Obligation of maintenance of general diary is part of course of conduct of the concerned officer, which may not itself have any bearing on the criminal trial, unless some grave prejudices going to the root of matter is shown to exist at the time of the trial. The Court however, rejected the notion that maintaining the general diary is not necessary and held that if the officer is not recorded, then it is for the trial court to weigh the effect of the same for reasons provided therein. It said : " We are aware of the fact that such non-maintenance of general diary may have the consequences of the merit of the case which is a matter of trial. Moreover, we are also aware of the fact that the explanation of the genesis of a criminal case, in some cases, plays an important role in establishing the prosecution's case." प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 11.06.2013 को केन्द्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में बुंदेलखंड में बिगड़ी हुई व्यवस्था ,विद्युत कटौती से मुक्त कराने एवं प्रदेश में विद्युत दरो में हुई वृद्धि के खिलाफ शहर एवं जिला कांग्रेस कामेटी झाँसी, व ललितपुर के संयुक्त तत्वाधान में दयानंद स्टेडियम पारीक्षा में धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम समय करीब दिन में 11.00 बजे होना था जिसकी अनुमति अपर उप-जिला मजिस्ट्रेट झाँसी द्वारा विभिन्न शर्तो के अधीन प्रदान की गई थी। उक्त धरना प्रदर्शन को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए एस०ओ० हाकिम सिंह थाना बड़गाँव की ड्यूटी लगाई गई थी। यह स्वाभाविक है कि इतने बड़े कार्यक्रम के लिए संबंधित थाने से ड्यूटी लगाई गई होगी। यदि यह मान भी लिया जाए कि वादी मुकदमा हाकिम सिंह व उसके हमराहीयान थाने से धरना प्रदर्शन स्थल जाते समय रवानगी जी०ड़ी पर इंद्रराज उनके द्वारा नही किया गया है तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण घटना संदेह की परिधि में नही आती।

28— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि विवेचक द्वारा विवेचक

दोषपूर्ण की गई है। अत्यंत कमीयाँ विवेचना में इंगित है। इस संबंध में न्यायालय को यह देखना है कि विवेचक द्वारा की गई कमीयों से क्या घटना संदेह की परिधि में आती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाए है। **C.MUNIAPPAN VS STATE OF TAMIL NADU 2010 (6) SCJ 822, ACHARAPARAMBATH PARDEEPAN VS STATE OF KERALA, 2007 (57) ACC 293 (SC), STATE OF PUNJAB VS HAKAM SINGH (2005) 7 SCC 408, DHANAJ SINGH VS STATE OF PUNJAB (2004) 3 SCC 654, DASHRATH SINGH VS STATE OF U.P.(2004) 7 SCC 408,** उपरोक्त सभी विधि व्यवस्थाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि " Any irregularity or deficiency in investigation by I.O. need not necessarily lead to rejection of the case of prosecution when it is otherwise proved. The only requirement is use of extra caution in evaluation of evidence. A defective investigation cannot be fatal to prosecution where ocular testimony is found credible and cogent." प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा विवेचना में की गई त्रुटियों से उक्त घटना संदेह की परिधि में नही आती है। विवेचक द्वारा की गई त्रुटियाँ औपचारिक त्रुटियाँ है। जहाँ तक विवेचक द्वारा घटनास्थल पर मौजूद किसी स्वतंत्र साक्षी के ब्यानो को न लिए जाने एवं किसी स्वतंत्र साक्षी को अभियोजन साक्ष्य के रुप में अंकित न किए जाने का प्रश्न है। इस संबंध में न्यायालय इस मत का है कि घटना दिनांक 11.06.2013 की है। उक्त घटना में हाईवे पर जाम लगाकर दूर दूर से आ रहे यात्रियों के रास्ते को वाधित किया गया था। जाम हटवाने के उपरांत सभी यात्री अपने अपने गंतव्य स्थानो पर पहुँच गए। विवेचक द्वारा घटना के छः महीने के उपरांत उन यात्रियो का पता लगा पाना संभव नही है। अतः ऐसी स्थिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए दोषपूर्ण विवेचना के आधार पर संपूर्ण अभियोजन कथानक को दरकिनार नही किया जा सकता।

29– बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा घटना वाले दिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 CrPc के अंतर्गत निषेधाज्ञा का कथन किया गया है परंतु विवेचक द्वारा धारा 144 CrPc के आदेश को न तो पत्रावली में दाखिल किया है और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त आदेश को साबित कराया गया है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा आदेश अंतर्गत धारा 144 CrPc को पत्रावली में विवेचना के दौरान प्राप्त नही किया गया और न ही पत्रावली पर दाखिल किया गया। यह भी उल्लेखनिये है कि अभियोजन पत्र द्वारा उक्त आदेश को किसी भी साक्षी से साबित नही कराया गया है।

30– बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य में यह साबित नही किया है किन विशिष्ट गालियों का प्रयोग किया गया है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य में यह साबित नही किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन विशिष्ट गालियों का प्रयोग करते हुए जाम में फँसे यात्रियों का अपमान किया। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पारित विधि व्यवस्था **"JODH SINGH AND OTHERS VS STATE OF UTTAR PRADESH** held that in a complaint under section 504 I.P.C. the complainant must mention the actual words which were used by the accused while insulting him/her otherwise the court will not have enough material before it to come to a conclusion whether the words used by accused amounted to intentional insult."

31– उपरोक्त प्रकार से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, विधि के प्राविधानो एवं उल्लिखित न्याय दृष्टांतो के प्रकाश मे विचार करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण **1.प्रदीप जैन आदित्य पुत्र श्री विष्णु गुप्ता जैन, 2.रजनीश श्रीवास्तव पुत्र कालिका प्रसाद, 3.वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, 4. राहुल राय पुत्र सुरेन्द्र कुमार, 5.नावेद खान पुत्र नईम खान, 6.सादाब अहमद पुत्र कबीर अहमद, 7.राहुल गुप्ता पुत्र विष्णु गुप्ता, 8. नरेश चन्द्र विलाहरिया पुत्र धनीराम, 9.सलमान अहमद पुत्र फरीद अहमद, 10.सुहैल जैन पुत्र रवि कुमार जैन, 11.हरीश**

कपूर उर्फ टीटू पुत्र इन्द्रपाल कपूर, 12.शेरखान पुत्र जमील खान, 13.मनोज कुमार पुत्र श्याम विहारी पर लगे आरोप अन्तर्गत धारा–143/149,145/149,341/149,506,186/149 भा०दं०सं० व धारा–7 क्रिमनल अमेण्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने मे सफल रहा है, परन्तु अभियोजन पक्ष उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–504 व 188/149 भा०दं०सं० को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने मे असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्त अन्तर्गत धारा–143/149,145/149,341/149,506,186/149 भा०दं०सं० व धारा–7 क्रिमनल अमेण्डमेन्ट एक्ट भा०दं०सं० अपराध के दोषी हैं तथा अन्तर्गत धारा–504 व 188/149 भा०दं०सं० दोषमुक्त होने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **1.प्रदीप जैन आदित्य पुत्र श्री विष्णु गुप्ता जैन, 2.रजनीश श्रीवास्तव पुत्र कालिका प्रसाद, 3.वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, 4. राहुल राय पुत्र सुरेन्द्र कुमार, 5.नावेद खान पुत्र नईम खान, 6.सादाब अहमद पुत्र कबीर अहमद, 7.राहुल गुप्ता पुत्र विष्णु गुप्ता, 8. नरेश चन्द्र विलाहरिया पुत्र धनीराम, 9.सलमान अहमद पुत्र फरीद अहमद, 10.सुहैल जैन पुत्र रवि कुमार जैन, 11.हरीश कपूर उर्फ टीटू पुत्र इन्द्रपाल कपूर, 12.शेरखान पुत्र जमील खान, 13.मनोज कुमार पुत्र श्याम विहारी** को दाण्डिक वाद संख्या–159/2022 (मु०अ०सं०–114/2013) सरकार बनाम प्रदीप जैन आदि, अन्तर्गत धारा– 143/149,145/149,341/149, 506,186/149 भा०दं०सं० व धारा–7 क्रिमनल अमेण्डमेन्ट एक्ट थाना–बड़ागाँव, जिला–झाँसी के अपराध में दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत **धारा–**504 व 188/149 भा०दं०सं० थाना – बड़ागाँव, जिला–झाँसी के अपराध में दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है। अतः उनके व्यक्तिगत बंधपत्र व उनके जमानतदारों के बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं व उसे उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया जाए तथा पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लंच बाद पुनः पेश हो।

Anil Kumar 12/09/25

दिनांक–12.09.2025

(अनिल कुमार–सप्तम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष संख्या–1/
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, एम०पी०/एम०एल०ए० झाँसी।

दिनांक–12.09.2025

लंच उपरान्त

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु लंच पश्चात् पेश हुयी।

अभियोजन की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्तगण उपरोक्त को मुकदमा संख्या–159/2022(मु०अ०सं०–114/2013),अन्तर्गत धारा– 143/149,145/149, 341/149,506,186/149 भा०दं०सं० व धारा–7 क्रिमनल अमेण्डमेन्ट एक्ट में दोष–सिद्ध किया गया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित करने की याचना की गयी है।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण

वर्ष 2013 से लम्बित है। अभियुक्तगण उपरोक्त उपाध्याय को अन्तर्गत धारा– 143/149, 145/149, 341/149, 506, 186/149 भा०दं०सं० व धारा–7 क्रिमनल अमेण्डमेन्ट एक्ट में दोषसिद्ध किया गया है। उक्त अपराध 07 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है। अभियुक्तगण की पूर्व में कोई दोषसिद्धि नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा जानबूझकर अपराध कारित नहीं किया गया है। यह अभियुक्तगण का पहला अपराध है। अतः अभियुक्तगण को कम से कम दण्ड देने तथा परिवीक्षा पर छोड़ने की याचना की गयी है। अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 143/149, 145/149, 341/149, 506, 186/149 भा०दं०सं० व धारा–7 क्रिमनल अमेण्डमेन्ट एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है।

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना व मेरे द्वारा तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया गया है।

अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा– 143/149, 145/149, 341/149, 506, 186/149 भा०दं०सं० व धारा–7 क्रिमनल अमेण्डमेन्ट एक्ट में दोषसिद्ध किया गया है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित किया गया है। अतः प्रकरण के तथ्यो एवं परिस्थितियो को देखते हुए तथा अपराध की प्रकृति एवं उसमें दोषसिद्ध अभियुक्तगण उपरोक्त की भूमिका को दृष्टिगोचर रखते हुए न्यायालय के मत में प्रोवेशन पर छोड़ा जाना न्यायोचित नहीं होगा, बिना किसी ठोस आधार के अभियुक्तगण की सजा में कमी नहीं की जा सकती है, बल्कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण उपरोक्त वही सजा प्राप्त करने की अधिकारी हैं, जो कृत्य अपराध के समतुल्य होगी।

आदेश

अभियुक्तगण **1.प्रदीप जैन आदित्य पुत्र श्री विष्णु गुप्ता जैन, 2.रजनीश श्रीवास्तव पुत्र कालिका प्रसाद, 3.वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, 4. राहुल राय पुत्र सुरेन्द्र कुमार, 5.नावेद खान पुत्र नईम खान, 6.सादाब अहमद पुत्र कबीर अहमद, 7.राहुल गुप्ता पुत्र विष्णु गुप्ता, 8. नरेश चन्द्र विलाहरिया पुत्र धनीराम, 9.सलमान अहमद पुत्र फरीद अहमद, 10.सुहैल जैन पुत्र रवि कुमार जैन, 11.हरीश कपूर उर्फ टीटू पुत्र इन्द्रपाल कपूर, 12.शेरखान पुत्र जमील खान, 13.मनोज कुमार पुत्र श्याम विहारी** को मुकदमा संख्या–159/2022 (मु०अ०सं०–114/2013), थाना–बड़ागाँव, जिला–झाँसी, में अन्तर्गत धारा –143/149 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को छः माह का कारावास एवं मु० 500/–रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर उपरोक्त अभियुक्तगण को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगे,

अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा –145/149 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध पाते हुए दो वर्ष का कारावास एवं मु० 1,000/–रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर उपरोक्त अभियुक्तगण को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगे,

अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा –341/149 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध पाते हुए एक माह का साधारण कारावास एवं मु० 500/–रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर उपरोक्त अभियुक्तगण को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगे।

अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा –506 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध पाते हुए दो वर्ष का कारावास एवं मु० 5,000/–रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर उपरोक्त अभियुक्तगण को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगे।

अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा –186/149 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध पाते हुए को तीन माह का कारावास एवं मु० 500/–रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर उपरोक्त अभियुक्तगण को बीस दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगे।

अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा –7 क्रिमनल अमेण्डमेन्ट एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए छः माह का कारावास एवं मु० 500/–रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड का भुगतान न होने पर उपरोक्त अभियुक्तगण को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगे।

अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में जेल में बिताई गई अवधि धारा –428 दं०प्र०सं० के

प्राविधान के अनुसार सजा की अवधि में समायोजित होगी तथा सभी अपराध एक ही संव्यवहार में होने के कारण सभी सज़ाए साथ–साथ चलेगीं। अभियुक्तगण उपरोक्त का सजायावी वारण्ट जिला कारागार झांसी प्रेषित हो।

अभियुक्तगण निर्णय की तिथि के 07 दिवस के भीतर धारा–437ए दंड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन मे प्रत्येक द्वारा **मु० 20,000/–(बीस हजार रुपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की **एक सक्षम प्रतिभू** दाखिल करे।

निर्णय की प्रति अभियुक्तगण उपरोक्त को नियमानुसार निशुल्क प्रदान की जाये।

<u>**दिनांक–12.09.2025**</u>

Anil Kumar 12/09/25

(अनिल कुमार–सप्तम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–1/
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, एम०पी०/एम०एल०ए० झाँसी।

यह निर्णय, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

<u>**दिनांक–12.09.2025**</u>

Anil Kumar 12/09/25

(अनिल कुमार–सप्तम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–1/
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, एम०पी०/एम०एल०ए० झाँसी।

सलमान

Shadab